उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर

UTTARI RAJASTHAN SAHAKARI DUGDH UTPADAK SANGH LIMITED, BIKANER

(An ISO 22000 : 2018 Certified Organisation)

GSTIN 08AAAJU0264A1ZH NH. 15, श्रीगंगानगर रोड, बीकानेर–334001(राज0)

Ph. MD.: 0151-2225500, 502 Pur. 2941504, Mrkt: 2225507 E-mail: bikmu-rj@nic.in

क्रमांक : उरमूल / विपणन / 2023–24 / 2024 / 12114–27 दिनांक : 15.02.2024

ई–निविदा सूचना :–

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0, बीकानेर में बीकानेर नगर निगम क्षेत्र (पूर्व) में सिटी सप्लाई के सभी रूटों में एवं अप–कन्ट्री मार्गों पर दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सप्लाई कार्य हेतु एक वर्ष के लिए टू बिड सिस्टम के अन्तर्गत डिजिटल ई–टेण्डर के माध्यम से ऑन–लाईन दरें वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर दिनांक 17.02.2024 प्रातः 10:00 बजे से आमंत्रित की जाती है। यह निविदा दिनांक 27.02.2024 को दोपहर 01:00 बजे खोली जावेगी। निविदा शुल्क, ईएमडी, आरआईएसएल फीस एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाईट एवं **bikaner.sarasmilkunions.in, http://sppp.rajasthan.gov.in** व **bikmu-rj@nic.in** व संघ कार्यालय, बीकानेर में उपलब्ध है। किसी भी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार / अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक को होगा।

अमानत राशि / निविदा शुल्क राशि का डी.डी. संघ कार्यालय में निर्धारित समयानुसार जमा करवाये बिना निविदा मान्य नहीं होगी।

(बाबूलाल बिश्नोई)
प्रबन्ध संचालक

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी, डेयरी संयंत्र, उरमूल, बीकानेर।
2. प्रभारी (वित एवं लेखा) / आन्तरिक अंकेक्षक, उरमूल, बीकानेर।
3. प्रभारी, एमआईएस को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त निविदा उरमूल की वेबसाइट पर अपलोड करे।
4. पी.आर.ओ., उरमूल, बीकानेर उक्त निविदा को समाचार पत्र में प्रकाशन करवाये जाने की कार्यवाही करे।
5. प्रभारी विपणन, उरमूल, बीकानेर।
6. सूचना पट्ट, उरमूल भवन / उरमूल संयंत्र / समस्त उरमूल इकाईयाँ।
7. कार्यालय पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

प्रबन्ध संचालक

Instructions for uploading E-tender form & documents: -

1. **Submission of E-Tender Form & Document**: (Only through Online procedure)
Please read carefully the steps of submitting Tender form Online & also you have to follow instruction of e-procurement site for filling E-tender form. E-Tender form should be uploaded separately in two parts, viz. **PART I & PART II (unpriced & priced)**.

PART I: Before Uploading **UNPRICED TENDER PART I**, it should be ensured that all the Technical & Commercial details including e-Tenter form, Conditions of Contract & mendantary required all documents Like License, Regestration copy certificats mentioned in tech & other relevant documents etc. **(duly digitally signed by tenderer)** & Scan copy of Tender form fee, Earnest Money & E-tender processing fees **(DD/payorder)** are ready for uploading.

If scan copy of all above documents (Clearly visible) are not uploaded with Part-I of Tender form, Part-II of that tenderer will not be opened/considered for finalization of the tender work.

Tender has to ensure Submission of Demand Drafts as under:

a) **Scan copy of Demand Draft for Tender form fee, Earnest Money & E-tender processing fee to be uploaded with Part I.**
b) **Physical deposition of all three demand drafts before the Date as specified in tender notice.**

PART II: PRICED TENDER fill with **Schedule of Rates duly filled online** (only in prescribed format BOQ in .xls format), **digitally signed on that page.**

(a) Interested Agency (tenderer) can download tender form from official website *http://eproc.rajasthan.gov.in*
(b) Tenderer who wishes to participate in this tender will have to register on *http://eproc.rajasthan.gov.in* to participate in online tenders, tenderer will have to procure digital signature certificate (type III) as per information technology Act-2000 using which they can sign their electronic tender documents. Tenderer can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, safecrypt, Ncode etc. or they may contact e-procurement cell, Department of IT &C, Government of Rajasthan for further assistance. Tenderer who has a valid digital certificate need not procure a new digital certificate.
Address:- e-procurement Cell, RISL, Yozana Bhawan, Tilak Nagar, C-Scheme, Jaipur
(c) Tenderer shall submit their offer online in electronic formats both for technical and financial proposal however Demand Draft for tender form fee, E-tender processing fee and earnest money should be submitted manually in the office of Tendering Authority (Urmul Dairy, Sriganganagar Road, Bikaner) upto stipulated date & time mentioned in tender notice and document for physically submission of demand draft. Scanned copy of Demand Draft should be uploaded along with online bid.
(d) Tender form & handwritten rates would not be accepted in Tender Box.
(e) The quoted rate should be filling in prescribed format of PART II of tender form (xls BOQ) only. Tender rate Zero or less then Zero Rupee is not acceptable & tenderer quoting such rates will be disqualified.

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर

Ph. MD.: 0151-2225500, Fax: 0151-2225556, Mrkt: 2225507, E-mail: bikmu-rj@nic.in

बीकानेर दुग्ध संघ में बीकानेर नगर निगम क्षेत्र(पूर्व) में (सिटी सप्लाई) के सभी रूटों में एवं अप–कन्ट्री मार्गो पर दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सप्लाई कार्य हेतु ई–निविदा http://eproc.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित की जाती है। अतिरिक्त एवं अधिक जानकारी www.Sarasmilkfed.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in व bikmu-rj@nic.in पर भी प्राप्त की जा सकती है।

निविदादाता का नवीनतम फोटो

निविदा –पत्र वर्ष 2023–24
भाग –अ

1. निविदा क्रमांकःउरमूल / विपणन / .... दिनांक ....
2. टेण्डर का नामः — दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सप्लाई कार्य
3. निविदा पब्लिशिंग व डाउनलोडिंग की दिनांक व समयः — दिनांक 17.02.2024 प्रातः 10 बजे से 26.02.2024, सांय 5 बजे तक
4. निविदा अपलोड कराने की दिनांक व समय : — दिनांक 17.02.2024 प्रातः 10 बजे से 26.02.2024, सांय 6 बजे तक
5. निविदा खोलने की दिनांक व समय : — दिनांक 27.02.2024 दोपहर 01 बजे
6. डी.डी. / प्रपत्र जमा कराने की समय सीमाः — दिनांक 17.02.2024 प्रातः 10 बजे से 27.02.2024, प्रातः 11 बजे तक
7. टेण्डर देने वाले का नाम फर्म / कम्पनी / प्रोपराइटर / पार्टनर
   पिता का नाम व पुरा पता ....
   टेलीफोन नं. एवं मोबाईल नं. ....
8. अमानत राशि का विवरण — रू 1,00,000 / डी.डी. नं. ....दि0......................
   उतरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि. बीकानेर के पक्ष में।
9. टेण्डर फीस — रू 500 / डी.डी. नं. ....दि0.....................
   उतरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि. बीकानेर के पक्ष में।
10. आरआईएसएल प्रोसेसिंग फीस — रू 500 / डी.डी. नं.............................दि0.......................
    MD RISL के पक्ष में।
11. आयकर पैन नम्बर...(छायाप्रति संलग्न करें) तीन साल की आयकर रिटर्न प्रति संलग्न सी.ए. से प्रमाणित
12. जी.एस.टी. (G.S.T.) पंजीकरण संख्या ....(छायाप्रति संलग्न करें) शर्त संख्या 16–र
13. स्थाई निवास का प्रमाण पत्र ....(छायाप्रति संलग्न करें)
14. पहचान प्रमाण पत्र ....(छायाप्रति संलग्न करें)
15. खादय सुरक्षा अनुज्ञा पत्र .... (छाया प्रति संलग्न करें)
16. निविदादाता को एनेक्सचर "ए", "सी" 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित करवाकर व शेष एनेक्सचर अपनी फर्म के लेटर हैड पर मय हस्ताक्षर व मोहर भरकर निविदा के साथ अपलोड करना होगा।
17. 500 रू के स्टाम्प पेपर पर निम्नानुसार I से V नोटेरी से प्रमाणित कर संलग्न करें।
    i. संघ में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी / संचालक मण्डल सदस्य, स्वयं एवं उनके परिवार के निकटतम सदस्य निविदा में भाग नही ले सकेगे।
    ii. संघ द्वारा पूर्व में अयोग्य, ब्लेकलिस्टेड व न्यायालय से दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।यदि टेण्डर अवधि में भी ऐसा पाया गया तो टेण्डर निरस्त कर दिया जावेगा व संघ की वसूली के लिए फर्म / ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
    iii. निविदादाता राज्य सरकार के विभागों उपकमों संस्थाओं / भारत सरकार के विभागों उपकमों संस्थाओं / राजस्थान राज्य के डेयरी संघो व आरसीडीएफ से ब्लेक लिस्ट किया हुआ नहीं होना चाहिये। ठेका स्वीकृति के पश्चात यदि इस बात की जानकारी होती है तो ठेका निरस्त कर धरोहर राशि, बैक गारंटी, बिल राशि जब्त कर ली जावेगी व वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए संघ संवतत्र होगा तथा उससे होने वाली हानि की भरपाई फर्म के बकाया बिलों / धरोहर राशि व बैंक गारंटी से की जावेगी। सम्पूर्ण बकाया की वसूली व भरपाई न होने की स्थिति में संघ द्वारा न्यायिक कार्यवाही की जा सकेगी।
    iv. यदि कोई निविदादाता द्वारा कोई तथ्य छुपाया जाता है व अनुबंध अवधि में सामने आता है तो ठेका निरस्त कर धरोहर राशि, बैंक गारंटी, बिल राशि जब्त कर ली जायेगी व वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए संघ

Ph. MD.: 0151-2225500, Fax: 0151-2225556, Mrkt: 2225507, E-mail: bikmu-rj@nic.in

iv. यदि कोई निविदादाता द्वारा कोई तथ्य छुपाया जाता है व अनुबंध अवधि में सामने आता है तो ठेका निरस्त कर धरोहर राशि, बैंक गारंटी, बिल राशि जब्त कर ली जायेगी व वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए संघ स्वंतत्र होगा तथा उससे होने वाली हानि की भरपाई फर्म के बकाया बिलों/धरोहर राशि व बैंक गांरटी से की जावेगी। सम्पूर्ण बकाया की वसूली व भरपाई न होने की स्थिति में संघ द्वारा न्यायिक कार्यवाही की जा सकेगी।

v. निविदादाता का यदि थाने में कोई आपराधिक रिकार्ड व आपराधिक प्रकरण लम्बित है/न्यायलय में विचाराधिन है तो इस कार्यालय को निविदा पत्र के साथ अवगत करवाना होगा एवं यदि निविदादाता थाने/न्यायालय द्वारा दण्डित किया जा चुका है तो अयोग्य माना जावेगा।

vi. यदि निविदादाता की फर्म के ठेकेदार व उसके कर्मचारी के विरूद्ध पूर्व में किसी भी संस्था में मारपीट/दुर्व्यवहार व भ्रष्ट/अनियमितता अथवा किसी भी संस्था के कर्मचारी से साठ–गांठ में लिप्त होना पाये जाने पर इस सम्बन्ध में शास्ती लगी हो तो निविदा में भाग नही ले सकता है। इस हेतु एक शपथ पत्र देना होगा।

vii. वाहन संबंधी सूचनाः–

क्र. सं.	रजिस्ट्रेशन नम्बर	निविदा	वर्तमान औसत दुग्ध की मात्रा(प्रतिदिन)	वाहनों की संख्या
1.		बीकानेर शहर(पूर्व) सिटी सप्लाई(दोनों पारी)	10000 लीटर	07
2.		लूनकरणसर अप–कन्ट्री मार्ग संख्या 15		
3.		नापासर, श्रीडूंगरगढ़ अप–कन्ट्री मार्ग संख्या 38		

वाहन मॉडल वर्ष 2022 से पूर्व का मान्य नहीं, वर्ष 2022 या बाद के वाहन के पत्रादि की फोटो प्रतियॉ संलग्न करना आवश्यक है।

(ब) वाहन नहीं होने परः– नया वाहन खरीदकर लगाऊँगा, के लिए ओरीजनल प्रफोमा इनवाईस जहां से वाहन खरीद करना है संलग्न करे। एवं 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटेरी से सत्यापित करवाकर संलग्न करें।

नोटः– बीकानेर शहर(पूर्व) सिटी सप्लाई(दोनों पारियों में) अप–कन्ट्री मार्ग में दुग्ध सप्लाई के लिए विस्तृत जानकारी हेतु उरमूल भवन, कार्यालय में विपणन शाखा में सम्पर्क करें।

19. (i) अमानत राशि रू. 1,00,000/– निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।
(ii) बैंक गांरटी राशि रू 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार रूपये मात्र) (30 माह हेतु) की देनी होगी।

20. यदि कोई निविदादाता पूर्व में संघ में कार्य अवधि के दौरान अनुबंध के बीच में छोड़कर चला गया हो तो अयोग्य माना जायेगा।

नोटः–(i) पूर्ण भरे हुये फार्म के अ भाग के साथ कम सं. 8 से 18 तक के दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है। अ भाग की पूर्ति पूर्ण ना होने पर निविदा फार्म को निरस्त करते हुए भाग ब नहीं खोला जावेगा।
(ii). निविदा का तकनीकी भाग–अ पूर्ण पाये जाने पर ही निविदा का वित्तीय भाग –ब खोला जावेगा।
(iii) निविदा खोलते समय, निविदादाता द्वारा अपलोड की गई उपरोक्त सभी दस्तावेज का मिलान करने हेतु मूल दस्तावेज कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने होगे, मूल दस्तावेज के अभाव में निविदा का भाग ब नहीं खोला जायेगा। इस हेतु निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

उपरोक्त तीनो डीडी (अ) भाग खोलने से पूर्व निर्धारित समयानुसार संघ में जमा करवाने होगें।

निविदा के साथ लगी समस्त शर्त पढ़ ली है एवं शर्तो से सहमत हूँ। शर्तो की स्वीकृति के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये है।

सरस
उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर
Ph. MD.: 0151-2225500, Fax: 0151-2225556, Mrkt: 2225507, E-mail: bikmu-rj@nic.in

(सामान्य शर्तें) वर्ष 2023–24

1. बीकानेर दुग्ध संघ में बीकानेर नगर निगम क्षेत्र (पूर्व) में (सिटी सप्लाई) के सभी रूटों एवं अप–कन्ट्री मार्गों में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सप्लाई कार्य हेतु ई–निविदा http://eproc.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित की जाती है। अतिरिक्त एवं अधिक जानकारी www.Sarasmilkfed.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in व bikmu-rj@nic.in **पर भी प्राप्त की जा सकती है।**
2. भाग ''ब'' के लिए दर का अंकन एक्सल फाईल में ही करें। दर देने से पूर्व समस्त शर्तों, दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। Excel Sheet में निविदादाता, फर्म के नाम व दर के अंकन के अलावा किसी भी तरह का बदलाव/परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है, यदि ऐसा पाया जाता है तो उस निविदा को निरस्त माना जावेगा।
3. निविदा भरने वाले निविदादाता को बीकानेर नगर निगम क्षेत्र की सिटी सप्लाई एवं अप–कन्ट्री मार्गों के सभी रूटों में दुग्ध व दुग्ध सप्लाई एवं अप–कन्ट्री मार्गों के सभी रूटों में दुग्ध व दुग्ध सप्लाई कार्य हेतु एक ही दर भरी जायेगी व सभी रूट लेना अनिवार्य है। निविदा निरस्त होने पर RISL निविदा शुल्क निविदादाता/फर्म को लौटाई नहीं जाएगी।
4. न्यूनतम दर वाले निवेदक द्वारा नियोजक को उक्त दर स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा। नियोजक को बिना कारण बताये किसी भी निविदा/निविदा पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। जिसके लिए निविदा को निरस्त करने के बारे में किसी भी प्रकार का कारण/स्पष्टीकरण मांगने का हक निवेदक/प्राधिकृत प्रतिनिधि को नहीं होगा।
5. न्यूनतम दर वाले निवेदक द्वारा प्रेषित दर अधिक प्रतीत होने पर संघ द्वारा संबंधित को नेगोशियेसन हेतु नियमानुसार बुलाने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. निविदा केवल दुग्ध संघ की शर्तों पर ही विचारणीय एवं स्वीकार योग्य होगी। निविदादाता/फर्म की पृथक से कोई शर्त स्वीकार नहीं होगी। उरमूल संघ, बीकानेर को निविदा खोलने की तारीख से पहले किसी भी समय इस निविदा में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित होगा। अद्यतन जानकारी के लिए निविदादाता/फर्म को संबंधित वेबसाईट का अनुसरण करने की सलाह दी जाती है।
7. (i) अमानत राशि रू. 1,00,000/– निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।
   (ii) बैंक गांरटी राशि रू 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार रूपये मात्र) (30 माह हेतु) ।
8. निवेदक को निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर पूर्ण हस्ताक्षर करने होंगे।
9. बीकानेर नगर निगम क्षेत्र(सिटी सप्लाई) के सभी रूटों व अप–कन्ट्री मार्गों में दुग्ध व दुग्ध उत्पाद उरमूल डेयरी बीकानेर से अधिकृत डेयरी बूथों/शॉप ऐजेन्सियों/पार्लरों/संस्थाओं/होटलस तक पहुंचाने व खाली क्रेटों को लाने के लिए रूट की अनुमानित क्षमता अनुसार वाहन की आवश्यकता होगी। उपरोक्त दुग्ध की मात्रा एवं आउटलेटस की संख्या परिवर्तनशील है।
10. गत तीन वित्तीय वर्षों में किसी भी एक वित्तीय वर्ष में 20 करोड़(बीस करोड़) का लेन–देन होना अनिवार्य है। आय का रिटर्न प्रमाण पत्र सी.ए. से प्रमाणित करवाकर निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
11. यदि निविदादाता फर्म निविदा खुलने के पश्चात् अपनी निविदा वापस लेता है या परिवर्तन करता है या दर स्वीकृति पत्र में विनिर्दिष्ट कालावधि में उपायन संविदा पर हस्ताक्षर अथवा अपेक्षित कार्य संपादन प्रतिभूति, वांछित दस्तावेज देने में विफल रहता है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। संघ को ऐसे मामले में उपायन प्रक्रिया को रद्द करने या कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए अगले न्यूनतम बोलीदाता अथवा सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को प्रस्ताव देने का अधिकार होगा।
12. अनुबंध अवधि एक वर्ष के लिए होगी । इसके पश्चात् आपसी सहमति से पुनः एक वर्ष तक बढायी जा सकेगी। निविदादाता बढ़ाई गई अवधि में निविदा की समस्त नियम व शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा तथा आवश्यकता पडने पर बिना सहमति तीन माह तक उन्हीं शर्तों पर अनुबन्ध अवधि बढ़ाने का अधिकार संघ को होगा।
13. वितरक अपना अनुबंध पूर्ण करने से पूर्व वितरण कार्य बीच में ही छोड़कर चला जाता है तो वितरक की समस्त जमा राशि जब्त कर लिये जायेंगे तथा बाकी बचे समय में अन्य ठेकेदार से कराने पर रिस्क व लागत पर काम करवाया जावेगा जिसकी वसूली ठेकेदार से होगी।
14. अनुबंध की शर्तें निविदा की अवधि के पश्चात् पूर्ण समायोजन होने तक प्रभावी रहेगी। प्रत्येक टेण्डर प्रातःकालीन सप्लाई से प्रारम्भ होगा।
15. सभी वाहनों का मॉडल जनवरी 2022 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए व मैकेनिकल फिट व इन्श्योर्ड कन्डीशन में होने चाहिए।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Ph. MD.: 0151-2225500, Fax: 0151-2225556, Mrkt: 2225507, E-mail: bikmu-rj@nic.in

16. दुग्ध व दुग्ध उत्पादों के वितरण कार्य हेतु एक ही दर भरी जावेगी।
(अ) शॉप/बूथ पर दुग्ध के वितरण हेतु भुगतान गेट पास कटते समय करना होगा। बिल रिटेल रेट में से ट्रांस्पोर्टेशन/लोडिंग/अनलोडिंग/GPS दर कम करके बनाया जायेगा।
(ब) शॉप/बूथ पर अन्य सभी दुग्ध उत्पादों के वितरण हेतु भुगतान के लिए ठेकेदार मासिक बिल बनाऐंगे। बिल स्वीकृत होने के पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा।
(स) संस्थाओं पर दुग्ध व दुग्ध उत्पाद के वितरण हेतु भुगतान के लिए ठेकेदार मासिक बिल बनाऐंगे। बिल स्वीकृत होने के पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा।
17. औसत कुल दुग्ध बिक्री का तीन समय की राशि के बराबर राशि संघ में जमा करानी होगी।
18. सभी निविदादाताओं को जिला स्वास्थय चिकित्सा अधिकारी से FSSAI अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना होगा।
19. निर्धारित बैंक गारन्टी 18 माह की टेण्डर दर फाईनल होने तक के 15 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। सफल निविदाकर्ता को 30 दिवस के अन्दर निम्न औपचारिकताएं पूर्ण करनी होगी असफल रहने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। विशेष परिस्थितियों में छूट का अधिकार प्रबन्ध संचालक को होगा।
(अ) सभी वाहन इन्सुलेटेड उपलब्ध करवाने होंगे।
(ब) सभी वाहनों पर पेन्टिंग कार्य निर्देशानुसार करवाकर वाहन निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
(स) वाहनों के रजिस्ट्रेशन व फिटनेस संबंधित मूल कागज प्रस्तुत करने होंगे।
(द) समय–समय पर लागू नियमानुसार राशि के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
(य) ट्रांस्पोर्ट विभाग से वाहनों की निरीक्षण रिपोर्ट भी इसी अवधि में लानी होगी।
(र) उत्तराधिकारी/नामित व्यक्ति का नाम प्रमाणिकरण हेतु 100/– रूपये के स्टाम्प पर नोटेरी से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा। सफल निविदादाता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व 1000/– रूपये का नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंधनामा भरकर प्रस्तुत करना होगा।
20. समय–समय पर सरकार द्वारा प्रसारित नियम/आदेश नियमानुसार लागू किए जावेंगे। सफल निविदादाता को पी. एफ., ई.एस.आई. एवं अन्य वैधानिक नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी। सफल निविदादाता द्वारा किसी नियम की पालना न करने से उत्पन्न सभी कानूनी, वित्तिय व अन्य समस्त जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी तथा संघ इस हेतु किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा। सफल निविदादाता के किसी कृत्य के कारण संघ पर किसी तरह का दायित्व आता है तो उसकी वसूली निविदादाता की जमा राशि से व बिलों में से की जायेगी। यदि नियमानुसार किसी भी प्रकार के टैक्स एवं नये टैक्स शासन द्वारा लागू किया जाता है, तो बिल में से कटौती की जायेगी अथवा वितरक की जमा सुरक्षा राशि, बैंक गारन्टी से विभिन्न प्रकार के टैक्स की बकाया राशि(यदि होती है तो) काट ली जायेगी।
21. निविदा खुलने व अंतिम नैगोसियेशन की दिनांक का बीकानेर शहर में प्रचलित डीजल की प्रभावी दर मानी जावेगी। अनुबंध अवधि में डीजल की दर बढ़ने/घटने पर स्वीकृत परिवहन दर एक लीटर डीजल में 15 किलोमीटर के औसत चलन के हिसाब से बढ़ायी/घटायी जायेगी। यदि डीजल की दर में 5 प्रतिशत या इससे अधिक की एक साथ बढ़ोत्तरी हो तो परिवहन दर की गणना की जायेगी। अगर यदि डीजल की दर में कमी होती है तो परिवहन दर में तुरन्त प्रभाव से कमी की जायेगी। उक्त बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावी होगी।
22. किसी भी शर्त के उल्लंघन के कारण प्रबन्ध संचालक के निर्णय द्वारा दुग्ध वितरक पर आर्थिक दण्ड लगाया जा सकेगा एवं लगातार शर्तों के उल्लंघन पर अनुबंधकर्ता का वितरण कार्य भी संघ हित में पन्द्रह दिन का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।
शर्तों के उल्लंघन से:–
(अ) संघ की हुई हानियों की वसूली ठेकेदार की जमा राशियों से व बकाया बिलों से(नकद बैंक गारन्टी) कर ली जावेगी। शेष बकाया राशि की वसूली हेतु वाद दायर किया जायेगा।
(ब) वितरक अपना अनुबंध पूर्ण करने के पूर्व वितरण कार्य बीच में ही छोड़कर चला जाता है तो वितरक की जमा सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी एवं संघ की बकाया राशि बैंक गारन्टी एवं अन्य जमा राशियों में से की जायेगी एवं उसे ब्लेक लिस्ट घोषित किया जायेगा।
23. RTTP, Act के अपील के प्रावधानों के अनुसार प्रथम अपिलीय ऑथोरिटी, प्रबन्ध संचालक, उरमूल बीकानेर एवं द्वितीय अपिलीय ऑथोरिटी, प्रबन्ध संचालक, RCDF, Ltd., Jaipur या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे।

Ph. MD.: 0151-2225500, Fax: 0151-2225556, Mrkt: 2225507, E-mail: bikmu-rj@nic.in

24. क्रेटों की पूर्ण जिम्मेदारी वितरक की रहेगी। खो जाने पर पूर्ण भरपाई तत्कालीन क्रय मूल्य के अनुसार वितरक से की जायेगी।
25. वितरक स्वयं के खर्चे पर संघ निर्देशानुसार वाहनों पर पैन्टिंग करने के लिए बाध्य होगा एवं पैन्टिंग खराब होने या प्रतिवर्ष अपने खर्चे पर सही करवाना होगा।
26. विशेष परिस्थितियों में जैसे प्राकृतिक आपदा, हड़ताल या अन्य कारणवश दूध वितरण कार्य बन्द रखा जाता हो तो, कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। संघ के दूध विपणन कार्य अत्यधिक कम होने पर मार्ग पर दूध वितरण का कार्य बन्द किया जा सकेगा व टेण्डर निरस्त कर दिया जावेगा। जिसके लिए कोई हर्जाना/क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
27. वाहनों का रखरखाव परिवहन वाहनों के चालक/हैल्पर/डीजल ऑयल की व्यवस्था/टैक्स भुगतान/टोल टैक्स का भुगतान हर स्थिति में अपने खर्चे पर वितरक को करना होगा।
28. संघ के वितरक द्वारा नियुक्त चालक/अन्य कर्मचारी चोरी करते हुए पाये जाने पर पकड़े गये चोरी की मात्रा की अधिकतम खुदरा मूल्य की कुल कीमत का 20 गुना दुग्ध संघ के रिकॉर्ड अनुसार दर्शायी गयी दूध की कमी को जोड़ते हुए शास्ति के रूप में वितरक से वसूल किया जायेगा। साथ ही चोरी में लिप्त कर्मचारी को अपनी सेवा से मुक्त करना होगा। ऐसे व्यक्ति को जो संघ में चोरी में लिप्त पाया गया हो तो संघ के किसी अन्य वाहन पर सेवा हेतु नहीं रखा जा सकेगा। ऐसा कृत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त व भविष्य की निविदाओं हेतु अयोग्य भी किया जा सकता है। संघ में जमा बैंक गारन्टी धरोहर राशि, बकाया बिल जब्त किये जावेंगे।
29. अनुबन्धकर्ता के कर्मचारी(ड्राईवर/खलासी) प्रतिनिधि को संघ द्वारा दिया गया पत्र/परिपत्र/दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद व अन्य सामान अनुबन्धकर्ता को दिया हुआ समझा जायेगा। उपरोक्त के निर्दिष्ट कृत अथवा अनुबंधकर्ता स्वयं के पास नहीं पहुंचने की स्थिति में जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की ही होगी। बूथ/शॉप ऐजेन्सी/पार्लर आदि हेतु दी गई पत्र/सूचना निर्धारित समय पर संबंधित को देनी/प्राप्त करनी होगी।
30. संघ वितरण हेतु किसी भी मार्ग पर न्यूनतम दुग्ध मात्रा व दूरी की गारन्टी देने हेतु बाध्य नहीं है तथा शहर एवं अप–कन्ट्री के किसी भी मार्ग में बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी करने का अधिकार संघ को होगा जिसमें सप्लाई देनी होगी।
31. वितरक को दुग्ध बूथों पर दुग्ध क्रेट्स व दुग्ध उत्पाद उतारने व खाली क्रेट्स आदि का संघ स्तर पर पहुंचाने की जिम्मेदारी वितरक की रहेगी।
32. वितरक/प्रतिनिधि द्वारा संघ से दुग्ध की थैलियां गिनकर लिकेज छांटकर एवं जांच कर ले जाने के पश्चात् किसी भी तरह के विवाद के लिए वितरक स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी भी दशा में दुग्ध वापिस संयंत्र पर नहीं लिया जायेगा। सप्लाई की गाड़ियां FGS(Cold Store) से निकाल कर गाड़ी में लोड करने की जिम्मेवारी निविदादाता/वितरक की होगी।
33. वितरक को दुग्ध व दुग्ध उत्पाद प्रभारी विपणन के निर्देशानुसार शहर कस्बे में वितरण हेतु निर्धारित समय पर ले जाने होंगे तथा निर्धारित समय पर ही खाली क्रेट्स आदि संयंत्र पर पहुंचाने होंगे, निर्धारित संख्या से कम क्रेट्स वापिस लाने पर प्रचलित क्रय दर प्रति क्रेट की कीमत वसूल किया जायेगा। यदि कोई विशेष परिस्थिति हो तो छूट देने का अधिकार प्रबंध संचालक संचालक को होगा।
34. वितरक द्वारा बूथ ऐजेन्ट/डीलर की मांग के अनुसार संघ से दूध व उत्पाद क्रय कर विक्रय/वितरण करना होगा। दुग्ध वितरक को अपने स्तर पर वितरण में परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि किसी बूथ/शॉप/विक्रय केन्द्र को वितरक दुग्ध सप्लाई नहीं करता है तो वितरक पर प्रति पारी विक्रय केन्द्र दूध की मांग की मात्रा के मूल्य के बराबर राशि की शास्ति आरोपित की जायेगी।
35. वितरण अवधि समाप्त होने पर संबंधित मार्ग के बूथ/शॉप ऐजेन्सियों से बकाया नहीं प्रमाण पत्र 15 दिवस में वितरक को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा वितरक की संघ से लेनदारी में होने वाली देरी के लिए वितरक स्वयं उत्तरदायी होगा। सुरक्षा राशि व अन्य भुगतान संघ से प्राप्त करने के पूर्व संघ को कोई "बकाया नहीं का प्रमाण पत्र", वितरक द्वारा देना होगा।
36. टेण्डर अवधि पूर्ण होने से पूर्व अनुबंधित वाहनों को विक्रय नहीं किया जा सकेगा। अगर विक्रय संघ की जानकारी में आता है तो टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा व समस्त सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।

Ph. MD.: 0151-2225500, Fax: 0151-2225556, Mrkt: 2225507, E-mail: bikmu-rj@nic.in

(अ) गाड़ी की क्षमता एक के ऊपर एक अधिकतम दस क्रेट्स को रखकर आंकी जायेगी दूध मात्रा में बढ़ोत्तरी होने पर वितरक को अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराना होगा। इस शर्त की अवहेलना पर एक हजार रूपये शास्ति आरोपित की जायेगी।

(ब) निर्धारित क्षमता से अधिक लोड किये गये माल की जिम्मेदारी वितरक की होगी।

37. वितरक को निविदा की मांग के अनुरूप वाहन उपलब्ध करवाने होंगे व बिना रूकावट के तथा दुग्ध को सही स्थिति में बूथ ऐजेन्ट को विपणन विभाग द्वारा जारी समय अनुसार उपलब्ध कराना होगा। उन बूथ ऐजेन्टों को जो गली अथवा अन्य तंग जगह पर स्थित है जहां कि बड़े वाहन नहीं जा सकते उन्हें किसी भी साधन से दुग्ध पहुंचाने की जिम्मेदारी वितरक की होगी। वितरक अपने स्तर पर मार्ग में परिवर्तन नहीं कर सकेगा। शर्त के उल्लंघन पर 100/– रूपये प्रति पारी व प्रति रूट शास्ति आरोपित की जावेगी।

38. संघ अथवा उसका अधिकृत अधिकारी को वितरक के वाहनों/ऑफिस/सप्लाई प्वाइन्ट की किसी भी समय चैक करने का अधिकार होगा। इस संबंध में वितरक व उसके कर्मचारियों को सहयोग करना होगा।

39. वितरक अपनी अनुबन्ध अवधि में अन्य किसी पार्टी/संस्था/व्यक्ति से दुग्ध वितरण कार्य या अन्य कोई ऐसा अनुबन्ध नहीं कर सकेगा। ना ही अनुबंधित वितरण कार्य को आंशिक या पूर्ण रूप से किसी अन्य को सबलेट कर सकेगा। ऐसी स्थिति में संघ प्रबंधन को वितरण कार्य निरस्त करने का अधिकार होगा।

40. सभी वाहन पूर्णतः इन्सुलेटेड होने चाहिये जिससे की दुग्ध व दुग्ध पदार्थ सुरक्षित रह सके तथा अन्दर के तापमान में बढ़ोत्तरी ना हो इन्सुलेशन कम से कम छत पर तीन इंच एवं चारों साईड वॉल(दीवारों) पर दो इंच मोटा होना आवश्यक है। वाहन के फर्श की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। जिससे क्रेट रखने व उठाने में क्रेट को कोई नुकसान ना हो।

41. ऐजेन्ट/डीलर द्वारा दुग्ध राशि भुगतान नहीं करने की सूचना प्रभारी(विपणन) को लिखित में देनी होगी जिससे ऐजेन्ट/डीलर की दुग्ध आपूर्ति बन्द की जा सके। वितरक स्वयं के स्तर पर किसी ऐजेन्सी की दूध सप्लाई बन्द नहीं करेगा। डिफॉल्टर बूथ ऐजेन्ट की आगे की दुग्ध डिमाण्ड वितरक प्रभारी विपणन के निर्देशानुसार लेगा। दुग्ध व उत्पाद बिक्री की बकाया राशि व शॉप ऐजेन्ट/डीलर से वसूल करने की जिम्मेदारी वितरक की होगी।

42. वितरक को संघ द्वारा निर्धारित बूथ मार्जिन व अनुमोदित वितरक मार्जिन काटकर बिल/गेट पास दिया जायेगा।

43. अचानक संघ में किसी भी उत्पाद की मेलों/शादी ब्याहों/त्यौंहारों आदि पर यदि किसी दुग्ध व उत्पाद की मांग अचानक बढ़ जाती है तो उस मांग की आपूर्ति के लिए अनुबन्धक 1,00,000/– रूपये हमेशा की सप्लाई से अतिरिक्त रखेंगे। जिसका उपयोग अतिरिक्त मांग के लिए किया जा सकेगा।

44. टेन्डर समाप्त होने के दिनांक से दो दिवस के अन्दर समस्त बकाया क्रेट जमा करवाने होंगे। दो दिवस पश्चात् क्रेट जमा नहीं करवाए जाने पर बकाया क्रेट की राशि की वसूली/समायोजन संघ में जमा राशि में से की जायेगी। वसूली या समायोजन उस समय की प्रचलित दर से की जावेगी।

45. अनुबन्ध टेण्डर प्रारम्भ होने की तारीख से एक दिन पहले अगले दिन की जाने वाली Morning सप्लाई एवं बाद में लगातार Evening & Morning की राशि अग्रिम जमा करानी होगी तथा इसी अनुसार पूरी अनुबंध अवधि में प्रतिदिन अग्रिम राशि जमा कराई जाती रहेगी। उक्त राशि संघ के खाते में जमा करानी होगी तथा त्यौंहार एवं अचानक दुग्ध की मांग होने पर वितरक द्वारा अधिक सप्लाई प्राप्त करने के पूर्व AtPar/Internet/Online चैक द्वारा राशि जमा रखनी होगी।

46. बैंकों के दो से अधिक अवकाश होने पर एक दिन की राशि अवकाश के पहले दिन संघ में At Par Cheque द्वारा अग्रिम करवानी होगी।

47. संघ के जिन बैंकों में खाते हैं उनमें से किसी भी बैंक में वितरक द्वारा खाता खुलाया जाना होगा।

48. संघ के अन्य उत्पादों का भी अपने रूटों पर ही वितरण करना होगा।

49. प्रतिदिन निर्धारित सीमा से अधिक बकाया क्रेट की कीमत वितरक से वसूल की जायेगी। परन्तु मैला, त्यौंहार अन्य विशेष परिस्थितियों में छूट का अधिकार प्रबंध संचालक के पास होगा।

50. वितरक या उसका कोई कर्मचारी संघ कार्य में बाधा पहुंचाता है या संघ की साख को नुकसान पहुंचाता है या संघ परिसर में अभद्र व्यवहार करता है या संघ के कायदे कानून की अवहेलना करता है तो वितरक पर जुर्माना या

Ph. MD.: 0151-2225500, Fax: 0151-2225556, Mrkt: 2225507, E-mail: bikmu-rj@nic.in

टेण्डर निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। ठेका निरस्त करके बकाया बिल, बैंक गारन्टी, सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।

51. संघ द्वारा निर्धारित दुग्ध व दुग्ध उत्पाद की दरों के अनुसार ही बूथ ऐजेन्ट/शॉप ऐजेन्ट/पार्लर से उत्पाद की राशि प्राप्त करेंगे। निर्धारित दर से अधिक दर पर राशि वसूल करने पर प्राप्त अधिक राशि का 20 गुणा शास्ति आरोपित की जायेगी तथा अनुबन्ध भी निरस्त किया जा सकता है।
52. वितरक की मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की दशा में मनोनीत व्यक्ति को मनोनयन पत्र उत्तराधिकारी(प्रमाण पत्र) के अनुसार संघ में 10000/– रूपये (दस हजार रूपये मात्र) अनुबन्ध हस्तान्तरण शुल्क संघ में जमा कर अनुबन्ध हस्तान्तरण किया जा सकेगा।

    (अ) उत्तराधिकारी को उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर 10000/– रूपये(दस हजार रूपये मात्र) संघ में जमा करवाने पर

    (ब) पूर्ण विकलांगता होने पर वितरक द्वारा उसके उत्तराधिकारी या अन्य को 20000/– रूपये (बीस हजार रूपये) शुल्क जमा करवाने पर टेण्डर हस्तान्तरित की स्वीकृति संघ की सहमत्ति से दी जायेगी।
53. सभी वाहनों के आकस्मिक निरीक्षण पर वितरक को सामान Load व UnLoad करने हेतु स्टॉफ देना होगा जिसका कोई शुल्क देय नहीं होगा।
54. अगर वितरक निर्धारित वाहनों से कम वाहनों द्वारा दूध सप्लाई करता है तो उचित शास्ति लगाई जा सकती है या टेन्डर निरस्त किया जा सकता है तथा निरस्त करने पर बैंक गारन्टी जब्त कर ली जावेगी।
55. सफल निविदादाता को संघ में निर्धारित राशि जमा करवाकर संघ का नोमीनल सदस्य बनना होगा।
56. वितरक को श्रमिक 18 वर्ष की आयु से अधिक के (व्यस्क) ही लगाने होंगे। श्रमिक संक्रामिक रोग से ग्रसित न हो एवं ब्लेक लिस्टेड श्रमिकों को किसी भी मार्ग पर नहीं लगाये जावेंगे।
57. निविदा फार्म में उल्लेखित शर्तों एवं नियमों के अलावा निविदादाता द्वारा लिखी गयी कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
58. निविदा समाप्त होने पर संघ का निर्धारित रंग/पेन्टिंग वितरक द्वारा वाहन पर से हटाना होगा। संघ के विपणन अनुभाग के अधिकारियों को निरीक्षण करवाना होगा। उसके पश्चात् बकाया भुगतान की NOC जारी होगी।
59. अनुबंधित वाहनों का परिवहन विभाग से फिटनेस व इंश्योरेन्स पूर्ण होने पर राज्य सरकार के परिवहन विभाग एवं संबंधित विभाग इन्श्योरेन्स कम्पनी से नवीनीकरण करवाकर संघ में देना होगा।
60. ठेकेदार को सभी रूटों में अलग–अलग वाहनों हेतु अलग–अलग वाहन चालक व हेल्पर को पहचान पत्र जारी करना होगा जो संघ परिसर में आने हेतु मान्य होगा।
61. वितरक को प्रत्येक पारी में संघ में आने वाली खाली वाहनों का वजन कराने पश्चात् दुग्ध व दुग्ध उत्पाद भरकर सप्लाई ले जाते समय भी वाहनों का वहन कराना होगा।
62. वितरक को संघ द्वारा समय–समय पर जारी प्रशासनिक आदेश मानने होंगे तथा उसी अनुसार वितरक को कार्य सम्पादित करना होगा।
63. वितरक के द्वारा स्वयं के खर्चे पर वाहनों में जी.पी.आर.एस. सिस्टम लगाना होगा। जिसे चालू हालात में रखते हुए इसका रखरखाव भी स्वयं को करना होगा। वाहन निरीक्षण के समय जी.पी.आर.एस. सिस्टम का सत्यापन संघ के विपणन विभाग से कराना होगा। खराब होने की दशा में शास्ति 500/– रूपये प्रति वाहन प्रतिदिन लगाई जायेगी। जिसका नियंत्रण प्रभारी(विपणन) के कम्प्यूटर में देना होगा।
64. निविदादाता को स्वयं के खर्चे पर सभी वाहनों में सरस जिंगल को P.A. सिस्टम के माध्यम से प्ले करना अनिवार्य होगा।
65. सफल निविदादाता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व रूपये 1000/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निविदादाता व नॉमिनी के द्वारा हस्ताक्षर नोटेरी से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
66. संस्थाओं के परिवहन किये गये दुग्ध परिवहन के क्लेम हेतु बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा तथा दुग्ध परिवहन की मात्रा के प्रमाणीकरण के पश्चात् बिलों का भुगतान देय होगा।
67. वितरक को दुग्ध विक्रेताओं से दुग्ध विक्रय राशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत स्टॉफ(ड्राईवर, खलासी आदि) का घोषणा पत्र मय नाम, पता, (आई कार्ड) चार प्रति में वाहन अनुसार जारी करना होगा व निविदादाता संस्था को लिखित में सूचित कर कर्मचारी (ड्राईवर व खलासी) को हटा व लगा सकेगा।

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर
Ph. MD.: 0151-2225500, Fax: 0151-2225556, Mrkt: 2225507, E-mail: bikmu-rj@nic.in

68. बूथ एवं दुग्ध वितरण से तात्पर्य मार्गों में वर्तमान में चल रहे विक्रय केन्द्र/बूथ वितरण केन्द्र व भविष्य में संघ द्वारा प्रारम्भ किये जाने वाले नये वितरण केन्द्र व मार्ग के रूट से होगा जिनको आवश्यकतानुसार घटाया/बढ़ाया जा सकता है।
69. यदि वाहन में सरस के अलावा अन्य किसी ब्राण्ड का दुग्ध या दुग्ध पदार्थ पाया जाता है तो वितरक को 5000/– रूपये शास्ति लगाई जायेगी। पुनरावृति पाये जाने पर संघ को वितरक कार्य(ठेका) निरस्त करने का अधिकार होगा एवं बैंक गारन्टी व अन्य देय भुगतान जब्त किये जा सकते हैं।
70. अनुबंधक द्वारा GST के नियमों का पालन करना होगा।
71. दर सभी करों को सम्मिलित करते हुए देय होगी।
72. निविदादाता यह सुनिश्चित अवश्य कर लें कि व्यक्तिगत पैन कार्ड होने की स्थिति में पैनकार्ड आधार से लिंक हो। लिंक न होने की स्थिति में आयकर विभाग द्वारा किसी प्रकार की जिम्मेदारी अथवा शास्ति लगाई जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता/अनुबन्धकर्ता की स्वयं की होगी।
73. किसी भी प्रकार की शर्त जोड़ने व हटाने का अधिकार निविदादाता को नहीं होगा।

समस्त निविदा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम वर्ष 2012–2013 के अधीन होगी।

उपरोक्त समस्त शर्ते मैने पढ ली तथा उनको मानने में सहमति देता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर

UTTARI RAJASTHAN SAHAKARI DUGDH UTPADAK SANGH LIMITED, BIKANER

NH. 15, श्रीगंगानगर रोड, बीकानेर–334002(राज0)

Ph. MD.: 0151-2225500, 502 PBX:0151-2225502 Fax: 0151-2225556, 051-2225501(Telefax)

Pur. 2225504, Plant: 2225501, 503 Mrkt: 2225507 E-mail: rcdfbik1.jp1@gmail.com

PART-II

Financial/Price Bid

(THIS FORMAT IS FOR REFERENCE ONLY)

Tender Inviting Authority: MD, UTTARI RAJASTHAN SAHAKARI DUGDH UTPADAK SANGH LIMITED, BIKANER
Name of Work: City Supply (East)
Contract No:

Bidder Name :						
PRICE SCHEDULE (This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevent columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)						
NUMBER #	**TEXT #**	**NUMBER #**	**TEXT #**	**NUMBER #**	**NUMBER #**	**TEXT #**
Sl. No.	**Item Description**	**Quantity**	**Units**	**BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder Rs. P**	**TOTAL AMOUNT including Taxes**	**TOTAL AMOUNT In Words**
1	**2**	**4**	**5**	**13**	**53**	**55**
1.01		1	Ltr.			
Total in Figures						
Quoted Rate in Words						

Note :-

1. **Tenderer will have to comply with G.S.T./All Statutory taxes as applicable.**
2. The above Item Rate BoQ format is for referene only. No hand written rate is to be filled here. The offered quoted tender rate for Supply of Milk and Milk Products is to be filled Online in BoQ Sheet only at e-proc site.

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर
Ph. MD.: 0151-2225500, Fax: 0151-2225556, Mrkt: 2225507, E-mail: rcdfbik1.jp1@gmail.com

Annexure – A

तकनीकी निविदा फार्म (भाग – "I") के साथ अपलोड करें

अण्डर टैंकिग/शपथ पत्र

मैं ....पुत्र श्री ....
उम्र ....वर्ष, निवासी .... तहसील ....
.... जिला .... (राज.) का हूँ, मैं शपथपूर्वक यह अधिकार पत्र देता हूँ कि :–

1) यह है कि मैं उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर से प्राप्त ठेकों के निमित्त/संबंधित किसी भी प्रकार के एरियर राशि/शास्ति राशि अथवा कोई देनदारी क्षतिपूर्ति (कंपनशेसन) निविदा अवधि समाप्ति के उपरांत भुगतान करना पड़ता है तो संघ द्वारा उक्त राशि मांगने पर तुरंत जमा करा दूंगा।

2) यह है कि संघ को मैं यह अधिकार देता हूँ कि पैरा एक में वर्णित राशि का भुगतान मेरी संघ में जमा प्रतिभूति राशि से जब्त कर प्राप्त कर सकते है।

3) यह कि संघ को यह अधिकार देता हूँ कि पैरा एक में वर्णित राशि की वसूली मेरी चल–अचल संपत्ति का अधिग्रहण/बेचान कर सकती है। उक्त प्रक्रिया में मेरा वारिशान की कोई दखलअंदाजी नहीं होगी।

मैं .... पुत्र श्री .... उम्र .... वर्ष, निवासी .... यह शपथपूर्वक तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त पैरा एक से तीन में वर्णित सभी तथ्य पूर्णतया सत्य हैं तथा मैं अपने होश–हवास में अपनी मर्जी से लिख दे रहा हूँ। परमात्मा मेरी रक्षा करें।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता/बोलीदाता ....

नाम निविदादाता ....

संस्था का नाम ....

पता ....

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर
Ph. MD.: 0151-2225500, Fax: 0151-2225556, Mrkt: 2225507, E-mail: rcdfbik1.jp1@gmail.com

Annexure – B

तकनीकी निविदा फार्म (भाग – "I") के साथ अपलोड करें

शपथ पत्र

मैं निविदादाता/बोलीदाता .... सुपुत्र श्री .... उम्र .... निवासी .... यह शपथपूर्वक सत्यापित (घोषणा) करता हूँ कि :–

i. मैं/हम संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल सदस्य नहीं हूँ/हैं एवं ना ही परिवार के निकटतम सदस्य हूँ/है।

ii. मुझे/हमें/फर्म को राजस्थान सरकार/भारत सरकार के विभागो/उपक्रमो/संस्थाओं/राजस्थान के डेयरी संघो/आरसीडीएफ से ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है।

iii. मुझे/हमें/फर्म को थाने/न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

iv. मैनें/हमने/फर्म ने पूर्व में संघ में कार्य अवधि के दौरान कोई अनुबन्ध को बीच में नहीं छोड़ा है और वर्तमान में मेरा/हमारा/फर्म का सिटी सप्लाई के अलावा कोई अनुबन्ध नहीं चल रहा है।

v. मैं/हम/फर्म किसी भी पुलिस थाने में दोषी सिद्ध नहीं है।

vi. मेरे/हमारे/फर्म द्वारा कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है तथा मैं/हम/फर्म उपरोक्त में से किसी भी बिन्दु पर गलत साबित होता हूँ/होते है/होती है तो निविदा फर्म/ठेके को निरस्त करने, अमानत राशि, धरोहर राशि, बैंक गारन्टी, बिल की राशि जब्त करने तथा वैकल्पिक व्यवस्था करने पर होने वाली हानि की भरपाई मुझसे/हमसे/फर्म से करने पर मुझें/हमें/फर्म को कोई आपति नही होगी। उक्त से भरपाई नहीं होने पर संघ यदि न्यायिक कार्यवाही करता है तो मुझें/हमें/फर्म कोई आपति नही होगी।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता/बोलीदाता ....
नाम निविदादाता ....
संस्था का नाम ....
पता ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर
Ph. MD.: 0151-2225500, Fax: 0151-2225556, Mrkt: 2225507, E-mail: rcdfbik1.jp1@gmail.com

Annexure – C

तकनीकी निविदा फार्म (भाग –I) के साथ अपलोड करे

शपथ–पत्र

मैं .... प्रोपराईटर/पार्टनर.. शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि हमारी फर्म तथा इसके पदाधिकारियों पर भविष्य निधि/ई.एस.आई. /सर्विस टैक्स/जी.एस.टी. के तहत कोई बाकियात नही हैं एवं किसी भी प्रकार की जांच हमारे विरूद्ध लंबित नहीं हैं।

मैंने निविदा पत्र के साथ संलग्न सभी सामान्य एवं विशेष शर्तों तथा आर.टी.पी. एक्ट के तहत लगाये गए Annexure 1 से 4 का अध्ययन कर समझ लिया है एवं मैंने सभी दस्तावेजों को अपलोड कर दिया है। मैं संस्था का अधिकृत अधिकारी हूँ व मेरे हस्ताक्षर ही संस्था प्रतिनिधि के रूप में मान्य/स्वीकार्य है। संघ द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप कार्य संपादित किया जाना स्वीकार करता हूँ। उपरोक्तानुसार चाहे गये किसी भी दस्तावेज के अभाव में मेरा टेंडर निरस्त किया जा सकता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता ....
नाम निविदादाता ....
संस्था का नाम ....
पता ....

COMPLIANCE OF THE RTPP ACT & RULES

Annexure -1

Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

a. Not offer any bribe, reward or gift of any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or tootherwise influence the procurement process;
b. Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain afinancial or other benefit or avoid an obligation;
c. Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency,fairness and progress of the procurement process;
d. Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
e. Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to and party or to its property to influence the procurement process;
f. Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
g. Disclose conflict of interest, if any; and
h. Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other countryduring the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

Conflict of Interest is, considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in abidding process if, including but not limited to:

a) have controlling partners/ shareholders in common; or
b) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c) have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding thebidding process; or
e) The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process, participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which theBidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same Subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f) The Bidder or any. of its affiliates participated as a consultant in the preparation of thedesign or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subjectof the Bid: or
g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by theProcuring Entity as Engineer-In-charge/ consultant for the contract.

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर
Ph. MD.: 0151-2225500, Fax: 0151-2225556, Mrkt: 2225507, E-mail: rcdfbik1.jp1@gmail.com

Annexure - 2

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

In relation to my/our Bid submitted to Managing Director ,Uttari Rajasthan Sahakari Dugdh Utpadak Sangh Limited, Sriganganagar Road, Bikaner (Rajasthan) for .... (Tender Name) provide in response to their Notice Inviting bid No.................Dated .... I/weherebydeclare under Section 7 of Rajasthan Transparency in publicProcurement Act, 2012, that:

I. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources andcompetence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and theState Government or any Local Authority as specified in the Bidding Document.

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/ouraffairs administered by a court ora judicial officer, not have my/our business activities Suspended and not the subject of legal proceedings for any ofthe foregoing reasons.

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminaloffence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/ourqualifications to enter into a procurement contract withina period of three years preceding the, commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuantto debarment proceedings.

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date: Signature of Bidder..................

Place: Name : ....

Designation : ....

Address : ....

Annexure - 3

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority will be Administrator of Uttari Rajasthan SahakariDugdhUtpadak Sangh Ltd., Bikaner

The designation and address of the Second Appellate Authority is Managing Director, Rajasthan Co-Operative Dairy Federation Ltd , SarasSankul, J.L.N. Marg , Jaipur (Rajasthan) .

1. **Filing an appeal**

   If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission ofthe Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, asspecified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of suchdecision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground orgrounds on which he feels aggrieved:

   Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

   Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before theopening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may befiled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable,

2. The officer to whom an appeal is filed under para (l) shall deal with the appeal asexpeditiously aspossible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
3. If the officer designated under para (l) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the procuring Entity is aggrieved by the order passedby the First Appellate Authority, the Bidder orprospective bidder or the Procuring Entity, as the casemay be, may file a second appealto Second Appellate Authority specified in the bidding document inthis behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receiptofthe order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement.
(b) Provisions limiting participation of bidders in the Bid process.
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
(d) Cancellationof a procurement process.
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (l) or (3) above shall be in the annexed Form along with as manycopies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavitverifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second AppellateAuthority, as the case may be, in person or through registered post or authorizedrepresentative.

(6) Fee for filing appeal .

(a) Fee for first appeal shall be rupees Two Thousand Five Hundred and for Second Appeal shall berupees Ten Thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank Demand Draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, Upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit anddocuments, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second AppellateAuthority, as the case may be, shall,-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter,

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records orcopies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass anorder in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost,

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर

Ph. MD.: 0151-2225500, Fax: 0151-2225556, Mrkt: 2225507, E-mail: rcdfbik1.jp1@gmail.com

Annexure - 4

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid issubstantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtainedby multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the totalprice shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is anobvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case thetotal price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shallprevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, inwhich case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction oferrors, its Bid shall be Disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its BidSecuringDeclaration shall be executed.

2. Procuring Entity" s Right to Vary Quantities

i. At the time of award of contract. The quantity of Goods, Works or Services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantityspecified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

ii. If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procuresless than the quantity specified in the bidding document due to change in circumstances, theBidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in theConditions of Contract.

iii. In case of procurement of Goods or Services, additional quantity may be procured byplacing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the originalContract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award
(In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procuredfrom the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity ofthe subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder. whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it isconsidered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vitalnature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid isaccepted and the second Lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर
Ph. MD.: 0151-2225500, Fax: 0151-2225556, Mrkt: 2225507, E-mail: rcdfbik1.jp1@gmail.com

FORM No.I
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public ProcurementAct, 2012

Appeal No................................of.............................
Before the.. (First / Second Appellate Authority)
1. Particulars of appellant:
   i. Name of the appellant:
   ii. Official address, if any:
   iii. Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
i.
ii.
iii.
3.Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or astatement of a decision, action or omission ofthe Procuring Entity in contravention to the provisionsof the Act by which the appellant is aggrieved.
4.If the Appellant proposes to be representedby a representative, the name andpostal address of the representative.
5. Number ofaffidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal...
....
....(Supported by an Affidavit)

7.Prayer:..
....

Place ....
Date..

Appellant's Signature

निविदादाता के हस्ताक्षर